

रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर के रोजगार सूचना सं०-एन.ई.आर/आर.आर.सी./डी/०४/२०१३-१४ दि० २७.०७.१५ के द्वारा विज्ञप्ति रिक्ति के विरुद्ध चयनित एवं निर्धारित चिकित्सा परीक्षा श्रेणी में उपयुक्त घोषित तथा उप मुकाधि रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर के पत्र सं०-का/एन.ई.आर./आर.आर.सी./डी/०४/२०१३-१४/पोस्टिंग दि० २७.०७.१५ के द्वारा सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के अधीन नियुक्त/ पदस्थापना हेतु भेजे गये निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके नाम के समक्ष अंकित पद एवं वेतनमान/वेतनदर ५२००-२०२००+१८०० ग्रेड पे एवं समय-समय पर मान्य देय अन्य भत्तों के साथ अस्थायी नियुक्ति प्रदान करने हेतु निम्नवत् पदस्थापित किया जाता है ।

क्र० सं०	नाम एवं पिता का सर्वश्री:-	जन्म तिथि	मेडिकल श्रेणी एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सं०	पद एवं वेतनमान	कार्यस्थल	वेतनमान/ वेतनदर
1	मुकेश कु. गोंड (अजजा) पुत्र अच्छेलाल गोंड	०५.०७.९३	A-2 & below वमचिदू/पू.उ.रे./गोरखपुर ०१४५६२ दि. १३/१५.०४.१५	हेल्पर खलासी/टेली ५२००-२०२००+१८००	सीसेई/टेली/वारा. के अधीन वारा. सिटी।	५२००+१८००


मात्र एक अभ्यर्थी ।

ये ग्रुप डी में अस्थायी रेल कर्मचारियों पर लागू होनेवाले नियम एवं दिनांक ०१.०१.२००४ से लागू नई पेशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल होंगे । इन्हें वेतन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सेना के अनिवार्य युनिट में ०७ वर्ष तथा प्रादेशिक सेना के आरक्षित वर्ग में ०८ वर्ष अथवा समय-समय पर निर्धारित अवधियों के सैन्य सेवा में लगाये जाने के पात्र होंगे । इनके रेल सेवा में बने रहना संतोषजनक पुलिस साक्ष्यांकन एवं शैक्षणिक तथा जाति सत्यापन की रिपोर्ट पर आधारित होगा । इस संबंध में अगर कोई प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो इन्हें रेल सेवा से तत्काल हटा दिया जायेगा एवं इनके विरुद्ध तदनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।



सह संचालक
पूवात्तर रेलवे, वाराणसी



मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार
इंजीनियर, वाराणसी
दि. ०९.०५.१६

सं०-का/सि/२२७/IV/अनु./२०१३-१४ पार्ट- (III)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

१. वमसिदूइं/पू.उ.रे./वाराणसी/समसिदूइं/वाराणसी, छपरा, मऊ एवं गोरखपुर
२. सीसेई/सिगनल/टेली/वाराणसी, छपरा, मऊ एवं गोरखपुर/सीवान/बलिया/गाजीपुर सिटी
३. मुख्य कार्याधी/विविध बिल
४. कार्याधी/एम.पी.पी. सेल
५. मंडल मंत्री नरमू/अजा, अजजा एस०/वारा०
६. संबंधित कर्मचारी
७. अतिरिक्त प्रति

कृते मरेप्र (का.)/वारा.